आवश्यक / जरिये ई–मेल

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक एफ 5(1–बी)प्राशिनि / ई–2 / 2012 / दिनांक 19.12.2012

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय संस्थानों में विद्यार्थीगण बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहते हैं तथा उनकी अनुपस्थिति को संस्था प्रधान गम्भीरता से नहीं लेतें है। अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है एवं उनका नियमित अध्ययन नहीं हो पाता है। अन्ततः इसका प्रभाव परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर पड़ता है।

इस सम्बन्ध में प्रवेश आवेदन पत्र में अंकित सामान्य सूचनाओं के उपबिन्दु संख्या (iii) का अवलोकन करें, जिसके अनुसार यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरन्तर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काटे जाने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कक्षा से किसी भी अवधि की सामूहिक अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काटे जाने का भी प्रावधान है।

ऐसे विद्यार्थी को 200 / – रूपये का पुनः प्रवेश शुल्क जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर ही प्रधानाचार्य को अपने विवेकानुसार पुनः प्रवेश प्रदान करने का प्रावधान है। संस्थान मे प्रधानाचार्य द्वारा पुनः प्रवेश नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिये जाने का प्रावधान भी है।

संस्थान स्तर पर प्रधानाचार्यों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण विद्यार्थियों में बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने एवं अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिणामस्वरूप नियमित अध्ययन के अभाव में उनका परीक्षा परिणाम भी अपेक्षानुरूप नहीं रह पाता है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि **आप विद्यार्थियों की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार समय पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगें। विद्यार्थी की कम उपस्थिति के बारे में अभिभावक को भी अवगत करावें। यदि विद्यार्थी उक्तानुसार अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध स्वविवेकानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करें।**

आपसे यह भी अपेक्षित है कि **आप विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर नियमित अध्ययन करने एवं परीक्षा में निरन्तर अच्छा प्रदर्शन** कर अपना जीवन सफल बनाने हेतु **निरन्तर प्रोत्साहित करें।**

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

क्रमांक एफ 5(1–बी)प्राशिनि / ई–2 / 2012 / 16111-113 दिनांक 19.12.2012

1. **संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग,** शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त **प्रधानाचार्य, राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक** जरिये ई–मेल।
3. **प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा** को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें। समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को ई–मेल द्वारा भी प्रेषित करें।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा